न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 24 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गुलाराम उम्र 72 वर्ष
2. पुनमाराम उम्र 70 वर्ष
3. माहिंगाराम उम्र 55 वर्ष
4. केसाराम उम्र 48 वर्ष पिसाराम कुशाला जाति भांभी निवासी लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चोंपा पुत्र मोती उम्र 71 वर्ष जाति भांभी निवासी सीलगण तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

2.तहसीलदार धोरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 349 / 2013 बअनवान गुलाराम बनाम चोंपाराम में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांकः— 19.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण अपीलांटस ने धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 95 रकबा 91.02 बीघा का मौजा सीलगण तहसील धौरीमन्ना में आया हुआ है। अपीलांटस के उपरोक्त खते से ही थोडी दुरी पर रोटलगेंटा कटान मार्ग आया हुआ है उक्त कटान मार्ग तक अपीलांटस को अपने जाने हेतु सबसे नजदीक एवं पूर्व में चलन में आ रहा मार्ग खेत खसरा नम्बर 07 में आया हुआ है जो खेत खसरा नम्बर 07 की रकबा 16 बीघा भूमि में से प्रस्तावित कटान मार्ग को आवेदन पत्र के साथ पेश परिशिष्ट 'अ' बरंग हरा में दर्शित किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र को बिना कोई उचित वजह से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद तामील सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित अपीलांटगण के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त समस्या का समाधान करने हेतु अपीलांटगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता होने पर मांग की गई है जो उचित व न्यायसंगत है उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने कयासो एवं कल्पनाओ के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं वास्तविकता से परे जाकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्दों का अवलोकन किया गया। मौका फर्द दिनांक 31.01.2014 में अंकित किया गया कि खसरा नं. 07 में से खसरा नं. 95 में जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो खसरा नं. 95 में जाने हेतु खसरा नं. 105 व 95 की माठ पर मुडकर जाना होगा। जबकि खसरा नं. 105 से कटान मार्ग से सीधा खसरा नं. 95 में जा सकते है। मौके पर खसरा नं. 105 में खसरा नं. 07 की माठ के सहारे सहारे 02 गट्ठा रास्ता चौड़ा प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह जाहिर किया कि चूंकि खसरा नं. 105 के खातेदार प्रस्तुत आवेदन में पक्षकार नहीं है तथा खसरा नं. 07 की भूमि रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं है। उपरोक्त मौका फर्द दिनांक 31.01.2014 एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रथम दृष्टया मूल खसरा संख्या 95 कटाण सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। खसरा संख्या 07 में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य को निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं है। अपीलांटगण/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया जाना नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन नहीं दिया है। रेस्पोडेंटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर

अपीलांटगण/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विप्रार्थी वकील के कथनों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड एवं तथ्यों पर गौर पर नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 349/2013 बअनवान गुलाराम बनाम चोंपाराम में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वैकल्पिक रास्ते (कटाणी मार्ग) को ध्यान में रखते हुए, उसके मध्य में पड़ने वाली जोत के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी जोत तक आने जाने हेतु निकटतम एवं लघुतम कटाण मार्ग देने हेतु बाद सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर